राजस्व अपील संख्या : 60/2023

उनवान : राजुराम बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 60/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/68

अपीलाण्ट :–		रेस्पोडेण्ट
राजूराम पुत्र पकाराम जाति सीरवी, निवासी ग्राम कोटडी, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.	बनाम	राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार देसूरी, जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरुद्ध नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा आदेश दिनांक 18.04.2023 राजस्व प्रकरण संख्या 09/2023 बउनवान सरकार बनाम राजूराम में पारित आदेश को निरस्त करवाने बाबत्।

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांकः 08.04.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार देसूरी के राजस्व प्रकरण संख्या 09/2023 बअनवान सरकार बनाम राजूराम में पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 को अपास्त करवाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा कोटडी, तहसील देसूरी के हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 158/915 रकबा 1.57 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आगोर एवं खसरा नम्बर 154 रकबा 3.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु.तालाब की भूमि आई हुई स्थित है, जिसके कुल रकबा में से क्रमशः रकबा 0.06 हैक्टर (दीवार), रकबा 0.01 हैक्टेयर (तारबन्दी) एवं रकबा 0.01 हैक्टेर (तारबंदी) पर अपीलार्थी का अतिक्रमण मानते हुए पटवारी हल्का ने टी.पी. रिपोर्ट तैयार की एवं उसके आधार पर नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बउनवान सरकार बनाम राजूराम के प्रकरण दर्ज किया गया। बाद प्रकरण दर्ज नोटीस जारी किया गया। परन्तु बाद जानकारी अपीलार्थी न्यायालय में हाजिर हुआ उसके बावजूद भी उसकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए, प्रकरण में अपीलार्थी को जवाब का विधिपूर्ण अवसर दिये बिना ही न्याय के मूल सिद्धान्त के विरुद्ध जाकर नायब तहसीलदार देसूरी ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय टी.पी. रिपोर्ट को ही आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति के विपरित आदतन शिकायती व्यक्ति के राजनैतिक दवाब में आकर दिनांक 14.08.2023 को गैर सायल/अपीलार्थी के विरुद्ध वार्षिक लगान 26 रु का 50 गुणा राशि 1,300/– रुपये जुर्माना एवं भौतिक रुप से बेदखल करने का आदेश पारित किया। जिस आदेश से व्यथित एवं प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमावें एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2023 जो राजस्व प्रकरण संख्या 09/2023 में पारित किया उस आदेश को अपास्त फरमावें।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 60 / 2023

उनवान : राजुराम बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

हस्तगत अपील का रेस्पोडेण्ट संख्या की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 05 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र म्याद की सीमा के पश्चात पेश किया है जो कि सुनने योग्य नहीं आता है, प्रार्थना पत्र म्याद पश्चात पेश करने का कोई युक्ति युक्त कारण नहीं है, अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।
2. यह कि, पटवारी हल्का, कोटडी द्वारा अतिक्रमी श्री राजुराम पुत्र पकाराम जाति सीरवी निवासी कोटडी द्वारा मौजा ग्राम कोटडी के खसरा नम्बर 145 किस्म गे.मु. बेरा, 158 / 915 किस्म गे.मु. आगोर व 154 किस्म गे.मु. तालाब कुल रकबा 0.08 हैक्टर पर अवैध रुप से पक्की दीवार एवं तारबंदी कर अतिक्रमण किये जाने से धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत टी.पी. रिपोर्ट कार्यालय हाजा में प्रस्तुत की गई। जिस संबंध में न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी में प्रकरण संख्या 09 / 2023 दर्ज कर अतिक्रमी गैर सायल को नोटीस जारी किया गया।
3. यह कि, आगामी पेशी तारीख दिनांक 18.04.2023 को गैर सायल (अतिक्रमी राजुराम) बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण गैरसायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये।
4. यह कि, उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौजा ग्राम कोटडी के खाता संख्या 01 में राज्य सरकार के नाम राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज है।
5. यह कि, उक्त भूमि राज्य सरकार की होने से गैर सायल को का कोई हक अधिकार नहीं बनता है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

प्रकरण का गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए अपील को म्याद–शुमार घोषित किया जाकर बहस सुनने का निर्णय लिया गया।

बहस के दौरान अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित काबिल अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 158 / 915 एवं खसरा संख्या 154 के सलंग्न प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों की शामलाती खातेदारी भूमि अवस्थित है, किन्तु अतिक्रमण का प्रकरण अकेले अपीलार्थी के विरुद्ध ही प्रस्तावित किया गया है। खसरा नम्बर 145 पर अपीलाण्ट का पिछले 62 वर्षों से निर्बाध कब्जा है, जिसमें सिंचाई हेतु बेरा खोदा जाकर विद्युत कनेक्शन भी जारी किया हुआ है। पूर्व में भी तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण संख्या 723 / 2021 इन्हीं तीन खसरों के संबंध में दर्ज कर दिनांक 22.10.2021 को बेदखली आदेश पारित किए गए थे, जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली में अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील प्रकरण संख्या 27 / 2021 में दिनांक 24.02.2022 को निर्णीत करते हुए अपीलाण्ट के विरुद्ध प्रस्तावित बेदखली कार्यवाही को निरस्त किया गया था। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस में यह भी निवेदन किया कि नायब तहसीलदार न्यायालय में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं त्रुटिपूर्ण ढंग से उसकी अनुपस्थिति मार्क करते हुए एकपक्षीय ढंग से ज़ैर अपील आदेश पारित कर दिया गया । यह भी, कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार देसूरी को दिनांक 17.02.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 145 पर अपीलाण्ट के कब्जे को नियमन करने का निवेदन किया गया था, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित किए बिना ही अपीलाण्ट

अति. जिला कलक्टर
(पाली)

P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 60/2023

उनवान : राजुराम बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

के विरुद्ध पुनः बेदखली आदेश पारित कर दिए गए। अतः नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 09/2023 में अपीलार्थी के विरुद्ध पारित जैर अपील बेदखली आदेश को निरस्त किया जाए।

बहस के दौरान रेस्पोडेण्ट की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु कोई भी उपस्थित नहीं। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजों तथा प्रकरण संख्या 09/2023 के मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया गया।

अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 18.04.2023 को तकनीकी बिन्दुओं पर चुनौति दी गई है, यथा– जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अपीलार्थी की अनुपस्थिति मार्क करना; अन्य सहखातेदारों की बजाय अकेले अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करना; नियमन हेतु अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को निर्णीत करने से पूर्व ही बेदखली आदेश पारित कर देना इत्यादि। किन्तु विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अतिचार से किसी प्रकार के विधिक हक हकुक उत्पन्न नहीं होते है। अपीलाण्ट का जिन खसरा संख्या 154 एवं 158/915 पर अतिक्रमण है, उक्त दोनों खसरों की किस्म क्रमशः गै.मु. तालाब एवं गै.मु.आगोर है, जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों में शुमार है, जिस पर भविष्य में भी कभी वैधानिक अधिकार अपीलार्थी के पक्ष में सृजित नहीं हो सकते। अपीलार्थी का यह तर्क भी परिपोषणीय नहीं है कि अन्य सहखातेदारों के स्थान पर अकेले अपीलाण्ट के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तावित किया गया, क्यों कि पटवारी द्वारा अनाधिकृत कब्जें की रिपोर्ट मौके की वास्तविक स्थिति के अनुरुप ही तैयार की जाती है।

जहां तक खसरा नम्बर 145 गै.मु. बेरा का संबंध है, अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ अनुसार उक्त भूमि पर बेरा खुदा हुआ है एव्म विद्युत कनेक्शन भी है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानकर दिनांक 22.10.2021 को बेदखली आदेश पारित किये गये थे। अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली द्वारा उक्त आदेश दिनांक 22.10.2021 को अपास्त किया गया। किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को मात्र इस आधार पर अपास्त किया गया था कि निर्णय दिनांक 22.10.2021 में यह उल्लेखित नहीं किया है कि अपीलाण्ट का अतिक्रमण क्षेत्र के कौनसे कितने भाग पर अतिक्रमण है तथा संबंधित पटवारी द्वारा इस संबंध में कोई नज़री नक्शा भी रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तुत नहीं किया है।

जैर आलोच्य प्रकरण संख्या 09/2023 बइजलास नायब तहसीलदार देसूरी में उक्त कमियों को दुरस्त कर दिया गया है, जहां हलका पटवारी द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट की पुश्त पर नजरी नक्शा भी अंकित है तथा अतिक्रमण का रकबा 0.06 हैक्टेयर तथा अतिक्रमण का प्रकार 'पक्की दीवार' स्पष्ट रुप से उल्लेखित है।

उपरोक्तानुसार विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 09/2023 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील ख़ारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक **08.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इज़लास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह),
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली